**संख्या-01/2018/1790/38-4-18-26(बजट)/2017**

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव ,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-4** **लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी,2018**

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु परिषद द्वारा हडको से लिए गये ऋण के पुनर्भुगतान (ब्याज) के संबंध में (योजना संख्या-21162) ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या- 187/ग्रा0आ0परि0-212, दिनांक 18.12.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत हडको द्वारा लिये गये ऋण की द्वितीय किश्त की धनराशि दिनांक 18.12.2017 से 31.12.2017 तक 14 दिनों का ब्याज काटकर निर्गत की गयी है। ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा कटौती गयी उक्त ब्याज की धनराशि रू0 286.59004 लाख परिषद को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हडको द्वारा दिनांक 18.12.2017 को अवमुक्त हेतु अपेक्षित द्वितीय किश्त की ऋणराशि रू0 86881.53400 लाख में से 8.6 प्रतिशत ब्याज की दर से दिनांक 18.12.2017 से 31.12.2017 तक 14 दिनों के देय ब्याज की अग्रिम कटौती की धनराशि **रू0 286.59004 लाख ( रू0 दो करोड़ छियासी लाख उनसठ हजार चार मात्र)** वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत हडको ऋण के ब्याज हेतु प्राविधानित धनराशि से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास निर्माण में व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1469/38-4-17-49(विविध)/2017, दिनांक 31 अक्टूबर,2017 में निहित प्राविधानों के अधीन योजना के कार्यान्वयन आवास निर्माण में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति के द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

**3-** तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2216-आवास 03-ग्रामीण आवास 800-अन्य व्यय 02-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) नामे डाला जायेगा।

**4-** यह आदेश वित्त विभाग के आ0 सं0 यू0ओ0 ई-2-1196/दस-2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में प्रदान की गयी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

**संख्या-01/2018/1790(1) /38-4-2018, तद्दिनांक।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
9- विशेष कार्याधिकारी, (बजट प्रकोष्ठ),ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
11- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।